प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1. प्राचार्य
सी0टी0ई0 वाराणसी।
2. समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0।
3. समस्त प्रबंधक/सचिव/प्राचार्य
निजी डी0एल0एड0 प्रशिक्षण संस्थान
उ0प्र0।

पत्रांकःगोप0/डी0एल0एड0–19/ 12902-07 /2019–20 दिनांकः 11 सितम्बर, 2019

विषय– डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 के अन्तर्गत द्वितीय फेज (Phase_2) की कांउसलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों में रिक्त सीटों को शत–प्रतिशत भरे जाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन करने वाले अप्रवेशित अभ्यर्थियों से सीधे प्रवेश (Direct Admission) लिये जाने हेतु दिशा निर्देश प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश सं0 633/अरसठ–4–2019–2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 09.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 प्रवेश/चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत द्वितीय फेज (Phase_2) में चयन/प्रवेश की कार्यवाही के उपरान्त प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों में रिक्त सीटों को शत–प्रतिशत भरे जाने के उद्देश से, **डी0एल0एड0 2019** के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले अप्रवेशित अभ्यर्थियों से सीधे प्रवेश (Direct Admission) लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त दिये गये निर्देश के अनन्तर्गत प्रदेश के राजकीय/निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश (Direct Admission) की कार्यवाही किये जाने हेतु दिशानिर्देश निम्नवत् है –

1. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण **2019** में ऑन लाइन आवेदन करने वाले अप्रवेशित अभ्यर्थियों से सीधे प्रवेश की कार्यवाही निम्न समय–सारिणी के अनुसार सम्पादित करायी जायेगी –

क्र0 स0	रिक्त सीटों पर अभ्यर्थियों द्वारा सीधे प्रवेश (**Direct Admission**) लिये जाने तथा निजी संस्थानों द्वारा अभिलेखीय जॉच/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि एवं प्रक्रिया		प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश लिये अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर रिर्पोट किये जाने की अंतिम तिथि
1	12.09.2019 से 16.09.2019 तक	1. प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक आवेदन पत्र प्राप्त करना। 2. प्रतिदिन अपराह्न 04:00 बजे से 05:00 बजे तक आवेदित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को दूरभाष/मैसेज के माध्यम से सूचित करना। 3. प्रतिदिन प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश वेबसाइट पर लॉक करना।	17.09.2019 (नोट – निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट **https://updeled.gov.in** पर ऑनलाइन रिर्पोट/ लॉक नहीं किये जाने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा।)

2. उक्त समय सारिणी के अनुसार प्रदेश के समस्त राजकीय (डायट/सी0टी0 वाराणसी) एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैक **00001** से **333090 तक** के ऐसे अभ्यर्थी जिनका अद्यतन् प्रवेश नहीं हुआ है, से ही रिक्त सीटो पर प्रवेश की

कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। **ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।** सीधे प्रवेश की प्रक्रिया में निम्नलिखित अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे –

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन किया हो तथा कतिपय कारणों से ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग न किया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम तथा द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प दिया गया हो परन्तु उनके द्वारा भरे गये विकल्प के सापेक्ष कोई प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया जा चुका हो परन्तु अभ्यर्थी द्वारा आवंटित संस्थान के सापेक्ष रू0 10,000 का भुगतान न किया गया हो ।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में आवंटित संस्थान के सापेक्ष रू0 10,000 का भुगतान किया गया हो परन्तु उनका प्रवेश सुनिश्चित न हो। ऐसे अभ्यर्थी पूर्व में आवंटित संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश ले सकते हैं।

3. डी०एल०एड०प्रशिक्षण 2019 के अन्तर्गत अद्यतन् प्रवेश न पाने वाले समस्त अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची उनके शैक्षिक गुणांक तथा मोबाइल/दूरभाष नं0 सहित पत्र के साथ संलग्न कर डायट की ई–मेल आईडी पर इस आशय से प्रेषित है कि संस्थान अभ्यर्थियों से प्रवेश के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सम्पर्क कर सके। निजी संस्थान अपने जनपद के डायट से सम्पर्क कर उक्त सूची प्राप्त कर सकते हैं।
4. अप्रवेशित अभ्यर्थी के मोबाइल नं0 सहित प्रेषित सूची के सम्बन्ध में समस्त संस्थानों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि –
   - आवश्यकता पड़ने पर ही अभ्यर्थियों से प्रवेश के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से कॉल/एस0एम0एस0 के माध्यम से संपर्क करें।
   - किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक बार दूरभाष/एस0एम0एस0 न भेजे।
   - अभ्यर्थी को प्रवेश से सम्बन्धित अथवा किसी अन्य प्रकार की त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना न प्रेषित की जाय।
   - उपलब्ध कराये गये दूरभाष नं0 का उद्देश्य मात्र सीटों को भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क किये जाने से है, उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से सम्पर्क न किया जाय।
   - दूरभाष नम्बर का डाटा अत्यन्त ही व्यक्तिगत तथा गोपनीय है। अतः किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों का डाटा सार्वजनिक न किया जाय।
   - उक्त के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2019 हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया हो एवं जिनका प्रवेश अद्यतन् किसी भी संस्थान में सुनिश्चित न हुआ हो, वे अपने डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2018 के ऑनलाइन आवेदन पत्र, आवंटन पत्र एवं समस्त शैक्षिक, आरक्षण, विशेष आरक्षण आदि सुसंगत अभिलेखों के साथ, प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान में राजकीय/निजी संस्थान में रिक्त सीटों के प्रति सीधे प्रवेश हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये आवेदन के सापेक्ष संस्थानों द्वारा Receipt उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. डी०एल०एड० प्रशिक्षण 2010 के द्वितीय फेज (Phase_2) के द्वितीय राउंड में समस्त पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षित/विशेष आरक्षण की श्रेणी की रिक्त सीटों को सामान्य श्रेणी की सीट पर परिवर्तित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जा चुकी है, अतः इस चरण में रिक्त समस्त सीटों को General (सामान्य) मानते हुए सीधे प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
7. अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क डायट हेतु रू0 10200 तथा निजी संस्थानों हेतु रू0 41,000 जमा कराते हुए सीधे प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगें। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम तथा द्वितीय चरण के

अन्तर्गत रू0 10,000 का भुगतान किया गया हो एवं उसका प्रवेश सुनिश्चित नहीं हुआ है, **तो सीधे प्रवेश (Direct Admission) के अन्तर्गत अभ्यर्थी द्वारा रू0 10,000 रू0 के भुगतान के उपरान्त डाउनलोड किये गये आवंटन पत्र (Allotment Letter) की प्रति, सीधे प्रवेश लेने वाले संस्थान में प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु डायट पर रू0 200 तथा निजी संस्थान पर रू0 31,000 देय होगा।**

8. **यदि किसी अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में आवंटित संस्थान के सापेक्ष रू0 10,000 का भुगतान किया गया हो परन्तु उनका प्रवेश सुनिश्चित न हुआ हो**, के द्वारा पूर्व में आवंटित संस्थान के प्रति रू0 10,000 के भुगतान के आवंटन पत्र **(Allotment Letter)** की प्रति, सीधे प्रवेश के अन्तर्गत किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान (पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण संस्थान के अतिरिक्त) में प्रस्तुत की जाती है तो अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भुगतान किये गये आवंटन शुल्क रू0 10,000 का समायोजन, सीधे प्रवेश लेने वाले संस्थान में कर दिया जाएगा।
9. राजकीय/निजी संस्थानों द्वारा सीधे प्रवेश के लिए निर्धारित तिथियों में प्रतिदिन प्रवेश हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार कर, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, तथा प्रवेश रिक्त सीटों पर मेरिट के सापेक्ष ही सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त प्रवेश की कार्यवाही के अन्तर्गत यदि किसी संस्थान के द्वारा मेरिट को इग्नोर कर प्रवेश लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो, उक्त तथ्य के जॉचोपरान्त संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
10. **प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरान्त, प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वेबसाइट updeled.gov.in पर दिये गये कॉलेज लॉगिन आईडी/पासवर्ड के माध्यम से Direct Admission के लिंक पर जाकर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नं0 को अंकित करते हुए प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों को लॉक/रिर्पोट करना सुनिश्चित किया जायेगा। अंतिम तिथि 17.09.2019 तक वेबसाइट पर रिर्पोट न किये जाने पर प्रवेश लिये गये अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा यह माना जायेगा कि निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश लिया गया है, लिया गया प्रवेश अवैधानिक होगा** एवं इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे
11. प्रदेश के समस्त डायट/निजी डी0एल0एड0 संस्थानों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 हेतु निर्गत शासनादेश सं0 426/68–4–2019–2067/2013 बेसिक शिक्षा अनुभाग–4, लखनऊ दिनांक 25.06.2019 द्वारा निर्धारित समय–सारिणी, शैक्षिक अर्हता एवं आयु के अनुसार ही सीधे प्रवेश के अन्तर्गत प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी ।

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2019 में प्रवेश/चयन की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्व प्रेषित निर्देश यथावत् रहेंगें। समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिये गये निर्देशों से जनपद के समस्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों के समस्त प्राचार्य को अपने स्तर से सूचित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही नियमानुसार, निर्धारित तिथि तक करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
11.9.19
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संलग्नक : शासनादेश दिनांक 09.09.2019

पृ0सं0/गोप0/डी0एल0एड0–2019/ 12902-07 **/2019–20 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ सादर प्रेषित :–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

11.9.19
सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।